05/05/25 पत्रावली पेश हुई। बकुलाल पक्षकार उप/पूर्व० पत्रावली दिनांक 23.06.25 को पेश हो।

23.06.25 आज यह पत्रावली पेश हुई। बकुलाल पक्षकार उप्र गत आदेशानुसार वाद वकील एवं श्रोता की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 12.08.25 को पेश हो।

12.08.25 आज यह पत्रावली पेश हुई। बकुलाल पक्षकार उपस्थित नहीं। अपने प्रार्थी एवं उनके वकील कोई उप० नहीं। बारम्बार आवाज लगाने के बावजूद कोई उप० नहीं आया अतः प्रार्थी यह RTA अधिनियम की धारा 5 में इसी स्थगन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल के काबिल हो तथा स्थगन मूल वाद हो।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (मुरलीपुरा) राज०
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर